सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 5, बुधवार, शाके 1942 - फरवरी 24, 2021

Phalguna 5, Wednesday, Saka 1942- February 24, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.451.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादों के निपटान के लिए निम्नलिखित **"एमनेस्टी स्कीम-2021"**, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम **एमनेस्टी स्कीम-2021** है।

(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत होगी और 30.09.2021 तक प्रवृत रहेगी।

2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में परादेय मांगों या विवाद के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन कोई परादेय मांग या विवाद है।

3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);

(iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);

(vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);

(vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);

(viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और

(ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);

(ख) "स्वीकृत कर" से कोई रकम अभिप्रेत है जो व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लिखित में स्वीकृत की गई है;

(ग) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;

(घ) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(च) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के क्रय या विक्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;

(झ) "विवाद" से अधिनियम के अधीन 30.06.2017 तक की किसी कालावधि के संबंध में निम्नलिखित से संबंधित, कोई लंबित मामला अभिप्रेत है,-

(i) अधिनियम के अधीन नियुक्त या विहित या प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा कर, ब्याज, फीस या शास्ति के उद्ग्रहण संबंधी विवाद; या

(ii) किसी कारण से निर्धारण, पुनर्निधारण या किये गये किसी अन्य आदेश; या

(iii) फाईल की गयी कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका; या

(iv) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष आरंभ की गई पुनरीक्षण कार्यवाही; या

(v) कर, ब्याज, फीस या शास्ति के संदाय के लिए आवेदक को सूचित करते हुए जारी किये गये नोटिस या आदेश; या

(vi) किसी कर, ब्याज, फीस या शास्ति के अपेक्षित संदाय के लिए अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में जारी की गयी कारण बताओ सूचना; या

(vii) अधिनियम के अधीन नियुक्त या विहित या प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा कर, ब्याज, फीस या शास्ति की वसूली के लिए प्रारंभ की गयी या उसके समक्ष लंबित कार्यवाही;

(ञ) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति, जो विवादित है, अभिप्रेत है;

(ट) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है;

(ठ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है :-

सारणी

क्र.सं.	चरण	अवधि
1.	चरण-I	31.03.2021 तक
2.	चरण-II	01.04.2021 से 30.06.2021
3.	चरण-III	01.07.2021 से 30.09.2021

(ड) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है; और

(ढ) "कुल परादेय मांग या कुल विवादित रकम" से किसी अधिनियम के अधीन व्यवहारी या व्यक्ति से संबंधित समस्त परादेय मांग या विवादित रकम की कुल राशि अभिप्रेत है;

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवाद संबंधित है।

4. स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

कर की छूट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की छूट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	परादेय मांग या विवादित रकम किन्तु उनको अपवर्जित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 2, 3, 4 और 5 के अधीन आती हैं।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने कर की रकम का 90 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने कर की रकम का 95 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने कर की रकम का 100 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम, यदि कोई हो, स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस की संपूर्ण रकम।
2.	परादेय मांग जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित है किन्तु उनको	(i) **चरण-I:** आवेदक ने अंतर कर की रकम का 20 प्रतिशत जमा	अंतर कर की शेष रकम, स्कीम के

	अपवर्जित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 3, 4 और 5 के अधीन आती हैं।	करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने अंतर कर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने अंतर कर की रकम का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
3.	परादेय मांग या विवादित रकम जो कर की दर, माल के वर्गीकरण या अधिनियम के निर्वचन से संबंधित है, किन्तु उनको अपवर्जित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2, 4 और 5 के अधीन आती हैं।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने विवादित कर के 50 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने विवादित कर के 55 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने विवादित कर के 60 प्रतिशत के साथ स्वीकृत कर, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	विवादित कर की शेष रकम, स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
4.	परादेय मांग या विवादित रकम जो,- (i) कर के अपवंचन या परिवर्जन; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों)/ प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के दुरुपयोग; या (iii) लेखाओं में अंकित नहीं किये गये माल; या (iv) अभिवहन में माल/यान; से संबंधित हैं, किन्तु उनको अपवर्जित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 5 के अधीन आती हैं।	(i) **चरण-I:** आवेदक ने परादेय शास्ति के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने परादेय शास्ति के 25 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने परादेय शास्ति के 30 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम और शास्ति की शेष रकम।
5.	कुल परादेय मांग या विवादित रकम जो अनन्य रूप से केवल ब्याज और/या शास्ति से संबंधित है, और पच्चीस करोड़ रुपये से	(i) **चरण-I:** आवेदक ने ब्याज और/या शास्ति का 40 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) **चरण-II:** आवेदक ने ब्याज	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज और/या

	अधिक है किन्तु उनको अपवर्जित किया जायेगा, जो इस सारणी के क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 के अधीन आती हैं।	और/या शास्ति का 45 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) **चरण-III:** आवेदक ने ब्याज और/या शास्ति का 50 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	शास्ति की शेष रकम।

स्पष्टीकरण:

(1) जहां कोई व्यवहारी चरण-I, II या, यथास्थिति, III की कालावधि के दौरान स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी स्कीम के अधीन संदत्त की जाने अपेक्षित शुद्ध रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में शुद्ध रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने उक्त रकम जमा की है और स्कीम की प्रवर्तन कालावधि से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमत: यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमश: ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तद्नुसार समायोजित की जायेगी।

(3) जहां किसी व्यवहारी या व्यक्ति ने एमनेस्टी स्कीम-2017, प्रवेश कर के लिए नई स्वैच्छिक एमनेस्टी स्कीम-2017, मोटर यानों के प्रवेश पर कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017, मनोरंजन कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017 या विलास कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017 के अधीन आवेदन किया था और उक्त स्कीम(स्कीमों) के अधीन कोई रकम जमा की थी किन्तु किसी कारण से तत्संबंधी स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त नहीं कर सका था, ऐसे मामलों में वे व्यक्ति/व्यवहारी इस स्कीम के अधीन फायदों के लिए पात्र होंगे और उन स्कीमों के अनुसरण में जमा रकम, इस स्कीम के अधीन फायदे के लिए समायोजित और अनुज्ञेय होगी।

(4) जहां मांग या विवादित रकम पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम जमा की गयी समझी जायेगी।

(5) जहां 30.06.2017 तक की अवधि से संबंधित मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्गृहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।

(6) मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(7) घोषणा प्ररूपों से संबंधित मांगों या विवादित रकम के लिए, जहां 30.06.2021 तक प्ररूप प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, वहां स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर वसूली कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की जायेंगी यदि व्यवहारी 15.07.2021 तक उपर्युक्त सारणी-क के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार चरण-III में जमा की जाने वाली अपेक्षित रकम के समतुल्य बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत कर देता है।

(8) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति स्कीम के अधीन विकल्प लेने का आशय रखता है, से संबंधित परिशुद्धि के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना से सात दिवस के भीतर या प्रवर्तन कालावधि तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

(9) ऐसे मामलों में, जो विवाद में हैं और जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम उक्त विवाद के संबंध में जारी किये गये मूल निर्धारण आदेश या नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(10) जहां व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा विवरणियों या लेखा पुस्तकों में तथ्यों को छिपाया गया है, कपटपूर्ण या दुर्व्यपदेशन किया गया है, ऐसे मामले उपर्युक्त सारणी-क के क्रम संख्यांक 3 के अधीन नहीं आयेंगे।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात् :-

(i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;

(ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए आवेदन इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और

(iii) पूर्व में किये गये किसी अधिक संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मांगों/ विवादों के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना देगा।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग(मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 5 के अधीन परादेय मांग या विवाद के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद की दशा में आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

[प.12(29)वित्त/कर/2021-269]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.452.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. नियम 21 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 21 में,-

(i) उप-नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित निर्धारणों के लिए, व्यवहारी 30.06.2021 तक घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।";

(ii) उप-नियम (1) का विद्यमान तृतीय परन्तुक हटाया जायेगा; और

(iii) उप-नियम (8) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि व्यवहारी 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित ऐसा कोई आवेदन, 30.06.2021 तक सीधे ही संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन का इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार अपने स्तर पर निपटारा करेगा।";

3. नियम 40 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 40 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उस दिन से जिस दिन संकर्म संविदा (संविदाओं) की सकल रकम दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "उस दिन से जिस दिन संकर्म संविदा (संविदाओं) की सकल रकम दस लाख रुपये से अधिक हो जाती है या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (1) में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु जहां अवार्डर कोई सरकारी विभाग, या कोई निगम, कंपनी, लोक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय है जिसमें सरकार की शेयर पूंजी है, ऐसे अवार्डर के लिए 30.06.2017 तक की किसी कालावधि से संबंधित अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना आज्ञापक नहीं है।";

(iii) उप-नियम (8क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-नियम (8ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर या 31.12.2020 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो,", के स्थान पर अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर या 30.06.2021 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) विद्यमान उप-नियम (11) के अंत में आने वाले विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(vi) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (11) में, निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु जहां अवार्डर सरकारी विभाग या कोई निगम, कंपनी, लोक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय या स्वशासी निकाय है जिसमें सरकार की शेयर पूंजी है और अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, वह संविदाकार को व्यक्तिश: सम्यक् रूप से भरा हुआ प्ररूप मूपक-41 जारी करेगा और संविदाकार उसे संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे अवार्डर ने संविदाकार को व्यक्तिश: प्ररूप मूपक-41 पहले ही जारी कर दिया है और संविदाकार 23 फरवरी, 2021 को या उससे पूर्व संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को उसे प्रस्तुत कर चुका है, ऐसे मामलों में नया प्ररूप मूपक-41 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"।

4. प्ररूप मूपक-41 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररूप मूपक-41

[नियम 40(11) देखिए]

अवार्डर द्वारा स्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र

प्ररूप सं.

जारी करने की तारीख:

	संविदाकार का नाम	
	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन), यदि कोई हो	
	पता	
	अवार्डर का नाम	
	अवार्डर पहचान सं., यदि कोई हो	
	पता	
	संविदाकार को संदत्त की गयी रकम	
	टीडीएस की रकम	

अवार्डर द्वारा स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

क्र. सं.	कार्यादेश संख्यांक	कार्यादेश दिनांक	संविदा की प्रकृति	संविदा का सकल मूल्य	बिल सं. और तारीख	बिल की रकम	संविदाकार का ई.सी. सं., यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

स्रोत पर कटौती की रकम	संविदाकार को संदाय की जमा की वाउचर सं. और तारीख	चालान की सकल रकम और तारीख जिसको स्रोत पर कटौती किया गया कर वाणिज्यिक कर विभाग के खाते में जमा कराया गया	एजी समायोजन/जीआरएन/ सीआईएन के माध्यम से किये गये संदायों के लिए कोषालय वाउचर संख्यांक
9	10	11	12

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख:

स्थान:

कर की कटौती और जमा के लिए उत्तरदायी
व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर

विभाग/कार्यालय का नाम"।

[प.12(29)वित्त/कर/2021-270]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.453.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

7.	पैट्रोलियम क्रूड	5	

"

[प.12(29)वित्त/कर/2021-271]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.454.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर/2012-33 दिनांक 12.07.2012, प.4(3)वित्त/कर/ 2018-188

दिनांक 12.02.2018, प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.3.2017, प.2(37)वित्त/ कर/2010-125 दिनांक 08.03.2011, प.4(4)वित्त/कर/2020-126 दिनांक 20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.02.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जायेगा:-

सारणी

क्र.सं.	**लिखतों का विवरण**	**स्टाम्प शुल्क**
1	**2**	**3**
1.	इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आबंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख	कोई नहीं
2.	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आबंटन आदेश	100 रु.
3.	राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आबंटन आदेश	100 रु.
4.	राजस्थान स्लम डवलपमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आबंटन आदेश	100 रु.
5.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख:-	
	(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत
	(ii) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 1 प्रतिशत
6.	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख,-	
	(i) आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के लिए भू-खण्ड के प्रथम आबंटन के मामले में	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर हस्तान्तरण की दर से।
	(ii) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड के प्रथम आबंटन के मामले में	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर हस्तान्तरण की दर से।
7.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख	प्रीमियम की रकम, विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त

		अन्य प्रभार और दो वर्ष के किराये की औसत रकम पर हस्तान्तरण की दर से।
8.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आबंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के संबंध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)	प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर से।
9.	क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख, जो पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो	मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत

टिप्पण:-1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 या राजस्थान स्लम डवलपमेंट पॉलिसी-2012 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन जारी/निष्पादित पट्टा विलेख /विक्रय विलेख के मामले में आबंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख ऐसे अधिनियम, नियम, योजना या, यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी/निष्पादित किया गया है।

2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-272]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.455.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित

करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में आबंटन आदेश के आधार पर पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आबंटन की रकम का 1.5 गुना पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि स्तम्भ 2 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की संख्या का विवरण देते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	(i) जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर; (ii) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर; (iii) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर; (iv) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 2010 से 14 जुलाई, 2014 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर; (v) जहां दस्तावेज 15 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात् निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के

		समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर; टिप्पण:1. पट्टा विलेख जारी करते समय संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा; 2. पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-273]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.456.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.12(11)वित्त/कर/2013-116 दिनांक 06.03.2013 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

(i) पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन या पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ii) पुत्री या पुत्रवधू के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा;

(iii) पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क,-

(क) से छूट दी जायेगी, यदि ऐसे दान विलेख 31 मार्च, 2022 तक निष्पादित किये जायें;

(ख) घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा, यदि ऐसे दान विलेख 31 मार्च, 2022 के पश्चात् निष्पादित किये जायें;

(iv) पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी; और

(v) विधवा के पक्ष में,-

(क) उसके मृत पति की माता, पिता, भाई या बहिन; या

(ख) उसकी स्वयं की माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री;

द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-274]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.457.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पैतृक संपत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	विवरण	स्टाम्प शुल्क की दर
1.	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।	पांच सौ रुपये
2.	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य	पांच हजार रुपये

	10 लाख रुपये से अधिक है।	

यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-275]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.458.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-109 दिनांक 08.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन से संबंधित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-276]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.459.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक

नहीं है, से संबंधित हस्तान्तरण विलेख, यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख 30.06.2021 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-277]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.460.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.1(11)वित्त/कर अनु./97 दिनांक 21.03.1998 को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में विनिर्दिष्ट लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम पच्चीस लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.1 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-278]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.461.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नये नियम 29-ख का अंत:स्थापन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के विद्यमान नियम 29-क के पश्चात् और विद्यमान नियम 30 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**29-ख. ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों पर डिस्काउण्ट और पारिश्रमिक.-** (1) राज्य में स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, जिसे इसमें इसके पश्चात् एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, को-

(i) ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से संगृहीत रकम के 0.65 प्रतिशत से अनधिक की किसी रकम की, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये, कटौती अनुज्ञात की जायेगी; और

(ii) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विक्रीत ई-स्टाम्पों के संबंध में, नियम 29 और 29-क के अधीन स्टाम्प विक्रेताओं को अनुज्ञात रकम के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जायेगी।

(2) एजेंसी, ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उसके द्वारा संगृहीत रकम में से उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञात रकम की कटौती करेगी और उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को ई-स्टाम्पों के विक्रय के माध्यम से उनके द्वारा संगृहीत रकम के अनुपात में उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अधीन अनुज्ञात रकम का संदाय करेगी।

(3) एजेंसी, उप-नियम (2) के अधीन कटौती की गयी और संदत्त रकम का त्रैमासिक विवरण महानिरीक्षक, स्टाम्प को प्रस्तुत करेगी।"।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-279]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.462.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नलिखित प्रवर्गों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार दरें अवधारित करती है :-

1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी; और

(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

2. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें,-

(i) संस्थानिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी;

(ii) आवासीय भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी; और

(iii) वाणिज्यिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

3. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

(i) जहां भूमि सहकारी सोसाइटियों/पूर्त संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी; और

(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के दोगुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरों की जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है वहां संस्थानिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

(ii) संस्था में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, छात्रावास, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।

4. सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

5. एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एग्रो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी।

6. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

(i) खनन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी और पट्टेदार के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, के मामले में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी और जहां उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरें अवधारित नहीं की गयी हैं, लगे हुए क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी; और

(ii) नया खनन पट्टा (चाहे नीलाम के माध्यम से या अन्यथा मंजूर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अंतरण के मामले में दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी और जहां उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरें अवधारित नहीं की गयी हैं, लगे हुए क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त दरें निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होंगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

7. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

(i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी; और

(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी।

8. होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

9. मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी; और

(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

10. कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें

कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

11. फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी जहां भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तक है;

(ii) 500 वर्गमीटर या वह भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी और शेष भाग, जहां फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्गमीटर से कम है, के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होंगी; और

(iii) 500 वर्गमीटर या वह भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी और शेष भाग, जहां फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर या अधिक है, के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

12. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें

3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरों को ऐसे प्रवर्ग की भूमियों के लिए विद्यमान दरों से 5 प्रतिशत कम किया जायेगा।

13. कोने के भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कृषि भूमि के भूखण्ड को छोड़कर, कोने के भूखण्डों की दरें 10 प्रतिशत अधिक होंगी।

14. ऐसी भूमि की दरें जिनके लिए मिश्रित भू-उपयोग पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है

रिक्त भूमि के विक्रय या अन्तरण पर, जिसके लिए विकास प्राधिकरणों या नगर सुधार न्यासों या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग का पट्टा/ पट्टा विलेख जारी किया गया है, ऐसी भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

15. विभिन्न भू-उपयोगों के अधीन भूमि की दरें

भूमि, जो उसके अनुमोदित उपयोग से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, की दरें इसके वास्तविक उपयोग या इसके अनुमोदित उपयोग, जो भी अधिक हो, के प्रवर्ग की दरों के समतुल्य होंगी।

16. किसी विशिष्ट क्षेत्र की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी हैं

(i) आवासीय भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की तीन गुना होंगी; और

(ii) वाणिज्यिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों की छह गुना होंगी।

17. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं के भीतर अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा-परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय की लिखत में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 1000 वर्गमीटर या उससे कम है,

भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

18. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं से बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा-परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी के बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, सिवाय वहां, जहां ऐसी भूमि एकल खसरा में समाविष्ट है या जहां ऐसी भूमि, संलग्न कृषि भूमि के खातेदार द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय की लिखत में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 500 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त दरें निष्पादित लिखतों पर या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-280]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.463.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की विद्यमान दरें 24.02.2021 से पुन:अवधारित की जायेंगी और दस प्रतिशत घटायी जायेंगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-281]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.464.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(4)वित्त/कर/2015-225 दिनांक 09.03.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट करती है जिनके आधार पर बहुमंजिला भवन के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा :-

क्र.सं.	**इकाई का विवरण**	**भूमि के मूल्यांकन की रीति**
1.	छत के अधिकार के बिना भू-तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 70 प्रतिशत
2.	छत के अधिकार के बिना प्रथम या द्वितीय तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत
3.	छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेंट) पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत
4.	छत के अधिकार के बिना तृतीय या उससे ऊपर के तल पर किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 40 प्रतिशत
5.	छत के अधिकार के साथ किसी इकाई के अन्तरण पर	भूमि के निर्धारित बाजार मूल्य का 100 प्रतिशत

स्पष्टीकरण: (i) आनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दर, अनुमोदित ले-आऊट प्लान में इकाई के विनिर्दिष्ट उपयोग या इकाई के वास्तविक उपयोग, जो भी अधिक हो, के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ii) यह अधिसूचना निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-282]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.465.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-225 दिनांक 02.09.2020 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

क. स्तम्भ संख्यांक 4 और 5 में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति

"	(xvii) कल्याणपुर	उप तहसील कल्याणपुर ",

के पश्चात् अभिव्यक्ति

"	(xviii) धनाऊ	तहसील धनाऊ "

जोड़ी जायेगी;

ख. स्तम्भ संख्यांक 5 में,-

(i) क्रम संख्यांक 8 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील बज्जू", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील बज्जू" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील मण्डावर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील मण्डावर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

ग. विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"	16.	जयपुर	राजस्व जिला जयपुर	(i) जयपुर	तहसील जयपुर, तहसील आमेर, तहसील बस्सी, तहसील चाकसू, तहसील चौंमू, तहसील दूदू, तहसील जमवारामगढ़, तहसील फागी, तहसील सांगानेर
				(ii) विराटनगर	तहसील विराटनगर
				(iii) गोविन्दगढ़	उप तहसील गोविन्दगढ़
				(iv) खेजरोली	उप तहसील खेजरोली
				(v) मौजमाबाद	तहसील मौजमाबाद
				(vi) किशनगढ़ रेनवाल	तहसील किशनगढ़ रेनवाल
				(vii) कोटखावदा	तहसील कोटखावदा
				(viii) कोटपूतली	तहसील कोटपूतली
				(ix) सांभर	तहसील सांभर
				(x) शाहपुरा	तहसील शाहपुरा
				(xi) माधोराजपुरा	उप तहसील माधोराजपुरा

			(xii) आंधी	उप तहसील आंधी	
			(xiii) तूंगा	उप तहसील तूंगा	
			(xiv) अमरसर	उप तहसील अमरसर	
			(xv) मनोहरपुर	उप तहसील मनोहरपुर	
			(xvi) पावटा	तहसील पावटा	
			(xvii) कालवाड़	उप तहसील कालवाड़	"

घ. क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 5 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील सुनैल", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील सुनैल" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील बकानी", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील बकानी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ङ. क्रम संख्यांक 29 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप तहसील रावला", के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसील रावला" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-283]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.466.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-226 दिनांक 02.09.2020 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

क. स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति

"	(xvii) नायब तहसीलदार, कल्याणपुर	कल्याणपुर	",

के पश्चात् अभिव्यक्ति

"	(xviii) तहसीलदार, धनाऊ	धनाऊ	"

जोड़ी जायेगी;

ख. स्तम्भ संख्यांक 3 में,-

(i) क्रम संख्यांक 8 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "(iv) नायब तहसीलदार, बज्जू", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(iv) तहसीलदार, बज्जू" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "(x) नायब तहसीलदार, मण्डावर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(x) तहसीलदार, मण्डावर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

ग. विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

16.	जयपुर	(i) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-प्रथम	जयपुर
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वितीय	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-तृतीय	
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-चतुर्थ	
		(v) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम	
		(vi) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-षष्टम	
		(vii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-सप्तम	
		(viii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-अष्टम	
		(ix) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-नवम	
		(x) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-दशम	
		(xi) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम	
		(xii) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-द्वितीय	
		(xiii) उप-रजिस्ट्रार, आमेर	
		(xiv) उप-रजिस्ट्रार, बस्सी	जयपुर उप जिले की बस्सी तहसील का क्षेत्र
		(xv) उप-रजिस्ट्रार, चाकसू	जयपुर उप जिले की चाकसू तहसील का क्षेत्र
		(xvi) उप-रजिस्ट्रार, चौंमू	जयपुर उप जिले की चौंमू तहसील का क्षेत्र
		(xvii) उप-रजिस्ट्रार, दूदू	जयपुर उप जिले की दूदू तहसील का क्षेत्र
		(xviii) उप-रजिस्ट्रार, जमवारामगढ़	जयपुर उप जिले की जमवारामगढ़ तहसील का क्षेत्र
		(xix) उप-रजिस्ट्रार, फागी	जयपुर उप जिले की फागी तहसील का क्षेत्र
		(xx) नायब तहसीलदार, बगरू	जयपुर उप जिले की बगरू उप तहसील का क्षेत्र
		(xxi) नायब तहसीलदार, मुंडोता	जयपुर उप जिले की मुंडोता उप

			तहसील का क्षेत्र
		(xxii) नायब तहसीलदार, जालसू	जयपुर उप जिले की जालसू उप तहसील का क्षेत्र
		(xxiii) नायब तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी	जयपुर उप जिले की रामपुरा डाबड़ी उप तहसील का क्षेत्र
		(xxiv) नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़	जयपुर उप जिले की गोविन्दगढ़ उप तहसील का क्षेत्र
		(xxv) नायब तहसीलदार, खेजरोली	जयपुर उप जिले की खेजरोली उप तहसील का क्षेत्र
		(xxvi) तहसीलदार, विराटनगर	विराटनगर
		(xxvii) तहसीलदार, मौजमाबाद	मौजमाबाद
		(xxviii) तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल	किशनगढ़ रेनवाल
		(xxix) तहसीलदार, कोटखावदा	कोटखावदा
		(xxx) उप-रजिस्ट्रार, कोटपूतली	कोटपूतली
		(xxxi) उप-रजिस्ट्रार, सांभर	सांभर
		(xxxii) उप-रजिस्ट्रार, शाहपुरा	शाहपुरा
		(xxxiii) उप-रजिस्ट्रार, माधोराजपुरा	माधोराजपुरा
		(xxxiv) नायब तहसीलदार, आंधी	आंधी
		(xxxv) नायब तहसीलदार, तूंगा	तूंगा
		(xxxvi) नायब तहसीलदार, अमरसर	अमरसर
		(xxxvii) नायब तहसीलदार, मनोहरपुर	मनोहरपुर
		(xxxviii) तहसीलदार, पावटा	पावटा
		(xxxix) नायब तहसीलदार, कालवाड़	कालवाड़ "

घ. क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 3 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "(vii) नायब तहसीलदार, सुनैल", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(vii) तहसीलदार, सुनैल" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "(x) नायब तहसीलदार, बकानी", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(x) तहसीलदार, बकानी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ङ. क्रम संख्यांक 29 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(xix) नायब तहसीलदार, रावला", के स्थान पर अभिव्यक्ति "(xix) तहसीलदार, रावला" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-284]
राज्यपाल के आदेश से,
(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.467.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा बनाये गये निम्नलिखित नियमों को, उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 79 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 के खण्ड-I के विद्यमान नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**79. फीस का प्रतिदाय.-** (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार किये जाने, या अन्य कारणों से रजिस्ट्रीकरण न होने की स्थिति में, कमीशन, समन, हाजिरी और यात्रा भत्तों के लिए उद्गृहीत फीस, जहां ऐसी फीस अर्जित हो गयी है, उसे छोड़कर, कोई फीस जो उद्गृहीत कर ली गयी हो, वह प्रतिदत्त कर दी जायेगी।

(2) निरीक्षण या तलाशी फीस उन मामलों में प्रतिदत्त की जा सकेगी जहां कोई निरीक्षण या तलाशी नहीं की गयी हो किन्तु उन मामलों में प्रतिदत्त नहीं की जायेगी जहां आंशिक निरीक्षण या तलाशी कर ली गयी हो।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उस फीस से अधिक प्रभारित कोई रजिस्ट्रीकरण फीस, जो वस्तुत: नियमों के अधीन प्रभार्य है, कलक्टर (स्टाम्प) के विवेक से, प्रतिदत्त की जा सकेगी बशर्ते कि प्रतिदाय के लिए दावा छह मास के भीतर किया गया हो और कलक्टर (स्टाम्प) का समाधान हो गया हो कि स्पष्टतया फीस अधिक प्रभारित हुई है।

(4) फीस के प्रतिदाय के लिए लिखित आवेदन कलक्टर (स्टाम्प) को किया जायेगा जो उस पर आदेश पारित करेगा। कलक्टर (स्टाम्प) यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रतिदत्त की जाने वाली फीस की पूरी रकम की रसीदें प्राप्त और अभिलिखित कर ली गयी हैं।"।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-285]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.468.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-123 दिनांक 08.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन से संबंधित लिखत पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-286]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.469.-राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) के अध्याय 4 की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन समझने पर, इसके द्वारा आदेश देती है कि जहां भूमि कर की बकाया 30.06.2021 तक जमा कर दी जाती है, भूमि कर पर संदेय ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-287]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.470.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर

कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, 01.04.2021 को और उसके पश्चात् क्रय किये गये और 31.03.2022 तक रजिस्ट्रीकृत और ग्रामीण मार्गों तथा अन्य मार्गों (राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के उपबंधों के अधीन यथा-वर्गीकृत) पर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय मोटर यान कर के संदाय से, इसके द्वारा छूट देती है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.471.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, के संदाय से छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक का संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार दिनांक 31.03.2021 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) नष्ट को चुके यानों से भिन्न यानों पर 31.01.2021 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से छूट देती है, यदि,-

(क) मोटर यान कर, एक बारीय कर और अधिभार पर 31.01.2021 के पश्चात् शोध्य शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, 31.03.2021 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(ख) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 31.03.2021 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और

(iii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और तीस दिन से अधिक के उपयोग के लिए राज्य में लाये गये गैर-परिवहन यानों पर 31.01.2021 तक एक बारीय कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से छूट देती है, यदि 31.01.2021 तक शोध्य एक बारीय कर और अधिभार 31.03.2021 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।

(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जायेगा।

(iv) अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की पूर्व में संदत्त रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(v) यदि छूट के संबंध में कोई विवाद प्रोद्भूत होता है तो परिवहन आयुक्त का विनिश्चिय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.472.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 2 की विद्यमान मद (ख) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

	(ख) अन्य मार्ग	
	(i) प्रतिदिन 100 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 230/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 100 कि.मी. से अधिक और 150 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 250/- प्रति सीट
	(iii) प्रतिदिन 150 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 280/- प्रति सीट
	(iv) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 250	प्रति माह रु. 300/- प्रति सीट

	कि.मी. तक चलने वाली	
	(v) प्रतिदिन 250 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 320/- प्रति सीट
	(vi) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 520/- प्रति सीट
	(vii) प्रतिदिन 350 कि.मी. से अधिक और 400 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 540/- प्रति सीट
	(viii) प्रतिदिन 400 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 560/- प्रति सीट

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तम्भ 2 की विद्यमान मद (क) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

	(क) गैर-अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 700/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	अधिकतम रु. 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह रु. 700/- प्रति सीट
	(iii) स्लीपर बस	अधिकतम रु. 40,000/- प्रति माह के अध्यधीन रहते हुए प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट

"

(iii) परन्तुक में,-

(क) विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iv) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (iii-क) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(iii-क) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ 2 में खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाले और अनन्य रूप से राजस्व खण्ड की सीमाओं के भीतर चलने वाले मोटर यान के मामले में कर, ऐसे मोटर यान पर संदेय कर का 50 प्रतिशत होगा;"; और

(ख) विद्यमान खण्ड (viii) के पश्चात् और विद्यमान टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (ix) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ix) 01.03.2021 को या उसके पश्चात् प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत यात्री यान पर क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट संदेय कर से

छूट होगी, यदि यान रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 दिन के भीतर गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आ जाये।"।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/3डी]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.473.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./ 2019-20/4 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, दिनांक 01.04.2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तम्भ 2 में क्रम संख्यांक 1 के सामने विद्यमान मद (ख) और स्तम्भ 2 और 3 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

	(ख) उपरोक्त प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले कोई अन्य परिवहन यान या यान जैसे कि डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन, ट्रेलर, टिप्पर, कैशवैन, मोबाइल कैंटीन, हॉलपैक डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बूलैंस, एनीमल एम्बूलैंस, फायर टेंडर्स, स्नोर्केड् लैडर्स, ऑक्जिलरी ट्रेलर्स और फायर फाइटिंग यान, हीयर्सेज, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक, एक्स-रे वैन, लाइब्रेरी वैन इत्यादि जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 16500 कि.ग्रा. से अधिक हो।	अधिकतम रु. 35000/- के अध्यधीन रहते हुए, रु. 1800 प्रति 1000 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. या उसके भाग के लिए प्रतिवर्ष

"

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/4ए]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.474.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. नियम 25 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 25 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) अभ्यर्पण या उपयोग में न लाने की कालावधि मंजिली गाडियों के लिए सात दिन से कम और मंजिली गाड़ियों से भिन्न के लिए तीस दिन से कम की नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्पण की कालावधि, यान के चोरी हो जाने की दशा में के सिवाय, यानों के समस्त प्रवर्गों के लिए नब्बे दिन से अधिक की नहीं होगी।"

3. नियम 41 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 41 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ड्राइवर की सीट अपवर्जित की जायेगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ड्राइवर और कण्डक्टर की सीट अपवर्जित की जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/5]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.475.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा दो पहिया गैर-परिवहन यानों और दस तक की बैठक क्षमता वाले चार पहिया गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के अन्तरण के समय पर संदेय अतिरिक्त एकबारीय कर के 50 प्रतिशत के संदाय से तुरंत प्रभाव से छूट देती है।

यह अधिसूचना 31.03.2022 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/6]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.476.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके अनुसरण में जारी अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 2 और 3 में वर्णित, उक्त अधिनियम की धाराओं के अधीन कारित और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए, उनके प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 4 में विनिर्दिष्ट रकम के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है:-

(1) संपूर्ण राज्य में, परिवहन विभाग के अधिकारी जो मोटर यान उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों;

(2) जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों;

(3) जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्रों के सिवाय, राज्य के शेष भाग में उनके क्रमिक क्षेत्रों में यातायात पुलिस और पुलिस के अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों; और

(4) संपूर्ण राज्य में, मोबाइल यातायात इकाइयों से संलग्न अधिकारी जो हैड-कांस्टेबल की रैंक से नीचे के न हों:

परन्तु पुलिस और यातायात पुलिस के अधिकारी धारा 182क की उप-धारा (1), धारा 182क की उप-धारा (3), धारा 182क की उप-धारा (4), धारा 182ख, धारा 192क, धारा 194 की उप-धारा (1) (सपठित धारा 113, 114), धारा 194 की उप-धारा (1क) और धारा 194 की उप-धारा (2) के अधीन कारित और दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	**धाराएं जिनके अधीन कारित अपराध का शमन किया जाना है**	**अपराध**	**रकम जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है (रुपये में)**

1	2	3	4
1.	177	अपराध के दण्ड के लिए साधारण उपबंध	प्रथम अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया के लिए 100/- (ii) उपर्युक्त से भिन्न 200/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया के लिए 200/- (ii) उपर्युक्त से भिन्न 400/-
2.	178(1)	मंजिली गाड़ी में टिकट या पास के बिना यात्रा करना	100/-
3.	178(2)	मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना	500/-
4.	178(3)(क)	दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना	50/-
5.	178(3)(ख)	दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी से भिन्न ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा गाड़ी चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करना	200/-
6.	179(1)	ड्राईवर द्वारा किसी निर्देश की अवज्ञा या किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा डालना	500/-
7.	179(2)	जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना।	1000/-
8.	180	अप्राधिकृत व्यक्ति को यान चलाने की अनुज्ञा देना	5000/-
9.	181	विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना यान चलाना	5000/-
10.	182(1)	अधिनियम के अधीन निरर्हता के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाना या पहले से धारित चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना	10000/-
11.	182(2)	अधिनियम के अधीन निरर्हता के	1000/-

		पश्चात् सार्वजनिक स्थान पर मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के रूप में कार्य करना या पहले से धारित कण्डक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना नई कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या इसे अभिप्राप्त करना	
12.	182क(1)	व्यवहारी, विनिर्माता या आयातकर्ता द्वारा अध्याय 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर मोटर यानों के विक्रय या परिदान या परिवर्तन करने संबंधी अपराध	प्रति ऐसे यान के लिए 1,00,000/-
13.	182क(3)	नाजुक सुरक्षा संघटक, जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, का विक्रय करने संबंधी अपराध	प्रति ऐसे संघटक के लिए 1,00,000/-
14.	182क(4)	मोटर यान स्वामी द्वारा यान में परिवर्तन जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में अनुज्ञात न हो	प्रति ऐसे परिवर्तन के लिए 5000/-
15.	182ख	धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड (आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का प्रतिषेध)	5000/-
16.	183(1)(i)	अत्यधिक गति से हल्का मोटर यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना	प्रथम अपराध के लिए-1000/- इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे ड्राईवर की चालन-अनुज्ञप्ति धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध करना
17.	183(1)(ii)	अत्यधिक गति से मध्यम या भारी माल या यात्री यान चलाना या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाना	प्रथम अपराध के लिए-2000/- इस उप-धारा के अधीन द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे ड्राईवर की चालन-अनुज्ञप्ति धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध करना
18.	184(ग)	खतरनाक तरीके से यान चलाना	प्रथम अपराध के लिए-1000/-

		(हाथ में रखी संसूचना युक्तियों के प्रयोग की सीमा तक)	पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/-
19.	186	यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए भी यान चलाना	प्रथम अपराध के लिए-500/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-1000/-
20.	189	राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी दौड़ और गति के मुकाबले में भाग लेना	प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/-
21.	190(2)	किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाना या चलवाना या चलने देना जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हो	प्रथम अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 500/- (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-परिवहन यान से भिन्न गैर-परिवहन यान के लिए 1000/- (iii) हल्का परिवहन मोटर यान (दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया परिवहन मोटर यान से भिन्न) के लिए 1500/- (iv) मध्यम/भारी परिवहन यान के लिए 2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए- (i) दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया मोटर यान के लिए 1000/- (ii) दो पहिया और तीन पहिया गैर-परिवहन यान से भिन्न गैर-परिवहन यान के लिए 2000/- (iii) हल्का परिवहन मोटर यान (दो पहिया/ई-रिक्शा/तीन पहिया परिवहन मोटर यान से भिन्न) के लिए 3000/- (iv) मध्यम/भारी परिवहन यान के लिए 4000/-
22.	192	रजिस्ट्रीकरण या यान के ठीक हालत में न होने के प्रमाणपत्र के बिना यान का उपयोग:- (i) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान	प्रथम अपराध के लिए-2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-5000/-

		(ii) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान से भिन्न यात्री यान (iii) कृषि ट्रेक्टर/ट्रेलर	प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/- प्रथम अपराध के लिए-2000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-5000/-
		(iv) माल यान	प्रथम अपराध के लिए-5000/- पश्चात्वर्ती अपराध के लिए-10000/-
23.	192 क	परमिट के बिना या परमिट शर्तों के उल्लंघन में यान का उपयोग	भारी मोटर यान के लिए 10000/- हल्का मोटर यान/मध्यम मोटर यान के लिए 5000/- दो पहिया/तीन पहिया और अनन्य रूप से नगरीय मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ी बस के लिए 2000/-
24.	194(1)	(i) धारा 113, 114 के उल्लंघन में अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले	लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए 5000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए 1000/- अतिरिक्त
		(ii) धारा 115 के उल्लंघन में (प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्र में) यान को चलाना	5000/-
25.	194(1क)	ऐसा मोटर यान चलाना जिसमें उसकी परिमापगत सीमाओं से बहिर्गत वहन हो	ऐसे भार को उतरवाने के लिए संदेय प्रभारों के दायित्व सहित 5000/-
26.	194(2)	प्राधिकारी द्वारा निदेश दिये जाने के पश्चात् यान को रोकने और भार कराने से इंकार करना	10000/-
27.	194क	परिवहन यान में क्षमता से अधिक यात्री वहन करना	प्रति अधिक सवारी 200/-
28.	194ख(1)	सीट बैल्ट के बिना ड्राईवर या यात्री	1000/-
29.	194ख(2)	सुरक्षा बैल्ट/बाल अवरोध प्रणाली के बिना 14 वर्ष से कम आयु के बालक को ले जाना	500/-
30.	194ग	दो पहिया यान पर दो व्यक्तियों से अधिक सवारी	100/-
31.	194घ	ड्राईवर और सवारी द्वारा हेलमेट के बिना सवारी	1000/-

32.	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से न गुजरने देना (अग्निशमन सेवा और एम्बुलेंस)	1000/-
33.	194च(क)	1. अनावश्यक रूप से या निरन्तर हॉर्न बजाना 2. प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में हॉर्न बजाना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-
34.	194च(ख)	नि:शेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 500/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 1000/-
35.	196	अबीमाकृत यान को चलाना	दो पहिया/तीन पहिया के लिए 1000/- उपर्युक्त से भिन्न के लिए 2000/-
36.	198	यान के साथ अनधिकृत हस्तक्षेप	1000/-

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 24, 2021

एस.ओ.477.-मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, खान विभाग के ई-रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.01.2021 को या उससे पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 113 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन कारित अपराधों का शमन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट रकम के अध्यधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में यथाविनिर्दिष्ट शमन रकम के लिए, इसके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	**इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 के आधार पर 31.01.2021 तक यान के लिए संदेय कुल शमन रकम (रु. में)**	**शमन रकम (इस विभाग की अधिसूचना सं. प.7(47)परि/नियम/मु./पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 के आधार पर 31.01.2021 तक यान के लिए संदेय रकम का प्रतिशत)**	**न्यूनतम संदेय शमन रकम (रु. में)**
1	2	3	4
1.	1 लाख तक	25 प्रतिशत	5500/-

2.	1 लाख से अधिक और 10 लाख तक	10 प्रतिशत	25000/-
3.	10 लाख से अधिक और 25 लाख तक	8 प्रतिशत	115000/-
4.	25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	6 प्रतिशत	235000/-
5.	50 लाख से अधिक और 75 लाख तक	4 प्रतिशत	385000/-
6.	75 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	2 प्रतिशत	485000/-
7.	1 करोड़ से अधिक	1 प्रतिशत	535000/-

यह अधिसूचना 31.03.2021 तक प्रवृत्त रहेगी।

[प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/2]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 24, 2021

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(29)FD/Tax/2021-269 to 271, No.F.4(2)FD/Tax/2021-272 to 287 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2020-21/1, 2, 3D, 4A, 5, 6, F.7(47)/Pari/ Rules/H.Q./87/Part/1/1 and F.7(47)/Pari/ Rules/H.Q./87/Part/1/2 dated February 24, 2021.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.451.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following **"Amnesty Scheme-2021"** for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputes, hereinafter referred to as the scheme, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the **Amnesty Scheme-2021**.

(2) The scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 30.09.2021.

2. Application.- The scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demand or dispute under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or dispute in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means any of the following Acts:-

(i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);

(ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);

(iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);

(iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);

(v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);

(vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);

(vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);

(viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and

(ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);

(b) "Admitted Tax" means any amount which is admitted by the dealer or person in the return furnished, or in writing before any authority;

(c) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under the scheme;

(d) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;

(e) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;

(f) "Declaration Form" means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(g) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(h) "Difference Tax" means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(i) "Dispute" means any case pending in respect of any period upto 30.06.2017 under the Act for which,-

(i) a levy of tax, interest, fee or penalty by an authority appointed or prescribed or authorized under the Act is under any dispute; or

(ii) an assessment, re-assessment on any account, or any other order has been made; or

(iii) an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition has been filed; or

(iv) a revision proceeding has been initiated before the Commissioner, Commercial Taxes Department; or

(v) a notice or order has been issued intimating the applicant for payment of tax, interest, fee or penalty; or

(vi) a show cause notice has been issued in any proceeding under the Act requiring payment of any tax, interest, fee or penalty; or

(vii) a proceeding for recovery of tax, interest, fee or penalty has been initiated by or is pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the Act;

(j) "Disputed Amount", means any tax, interest, fee or penalty which is in dispute;

(k) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;

(l) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S. No.	Phase	Period
1.	Phase-I	Upto 31.03.2021
2.	Phase-II	01.04.2021 to 30.06.2021
3.	Phase-III	01.07.2021 to 30.09.2021

(m) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee; and

(n) "Total Outstanding Demand or Total Disputed Amount" means the sum total of all outstanding demands or disputed amount pertaining to the dealer or person under any Act.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or dispute pertains.

4. Benefits under the scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfilment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this Scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S. No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	**2**	**3**	**4**
1.	Outstanding demand or disputed amount but excluding those covered under serial number 2, 3, 4 and 5 of this table.	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited 90% of the amount of tax. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 95% of the amount of tax. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited the 100% amount of tax.	Remaining amount of tax, if any, whole amount of interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
2.	Outstanding demand which relates to declaration forms but excluding those covered under serial number 1, 3, 4 and 5 of this table.	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited 20% of difference tax. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 25% of difference tax. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited 30% of	Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of

		difference tax.	order under the scheme.
3.	Outstanding demand or disputed amount which relates to rate of tax, classification of goods or interpretation of Act, but excluding those covered under serial number 1, 2, 4 and 5 of this table.	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 50% of disputed tax. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 55% of disputed tax. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited whole amount of admitted tax, if any, along with 60% of disputed tax.	Remaining amount of disputed tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under the scheme.
4.	Outstanding demand or disputed amount, which relates to: (i) evasion or avoidance of tax; or (ii) misuse of declaration form(s)/Certificate(s); or (iii) unaccounted goods; or (iv) Goods/vehicle in transit, but excluding those covered under serial number 1, 2, 3 and 5 of this table.	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 20% of the outstanding penalty. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 25% of the outstanding penalty. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited the whole amount of tax, along with 30% of the outstanding penalty.	Whole amount of interest and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under the scheme and remaining amount of penalty.
5.	Total outstanding demand or disputed amount which relates exclusively to interest and/or penalty only, and is more than rupees twenty five crore, but excluding those covered under serial number 1, 2, 3 and 4 of this table.	(i) **Phase-I:** The applicant has deposited 40% of interest and/or penalty. (ii) **Phase-II:** The applicant has deposited 45% of interest and/or penalty. (iii) **Phase-III:** The applicant has deposited 50% of interest and/or penalty.	Remaining amount of interest and/or penalty along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

Explanation:

(1) Where any dealer conveys his willingness for availing benefit of the scheme during the period of Phase-I, II or III, as the case may be and deposits the

required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the net amount required to be paid under the scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefit available in the Phase in which he had conveyed his willingness. In case, the dealer fails to deposit the net amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in which he deposits the said amount and in case of continuance of default beyond the operative period of the scheme, he shall not be eligible for any benefit under the scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation and if option is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly.

(3) Where any dealer or person had applied under Amnesty Scheme-2017, New Voluntary Amnesty Scheme for Entry Tax-2017, Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles-2017, Amnesty Scheme for Entertainment Tax-2017 or Amnesty Scheme for Luxury Tax-2017 and deposited any amount under the said Scheme(s) but could not avail the benefit under the corresponding scheme for any reason, in such cases, those persons/dealers shall be eligible for benefits under this Scheme and the amount deposited in pursuance of those Schemes shall be adjusted and admissible for benefit under this Scheme.

(4) Where the demand or disputed amount comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(5) Where the demand or disputed amount pertaining to the period upto 30.06.2017 has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under the scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

(6) For category of demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.

(7) For demands or disputed amount pertaining to declaration forms, where the forms are not submitted upto 30.06.2021, recovery proceedings shall not be initiated within the operative period of the scheme if the dealer submits a security in the form of bank guarantee equal to the amount required to be deposited in phase-III as per column number 3 against serial number 2 of Table-A above upto 15.07.2021.

(8) Where any application for rectification related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it within seven days of such intimation or upto the operative period, whichever is earlier.

(9) In cases which are in dispute and for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment order or notice issued in regard of the said dispute. In such cases, the assessing authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the operative period of this Scheme.

(10) Where any concealment, fraudulent or misrepresentation of facts has been made in the returns or books of accounts by the dealer or person, such cases shall not be covered under serial number 3 of the Table-A above.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this Scheme or as per Explanation (1) above, as the case may be;

(ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this Scheme; and

(iii) No refund of any excess payment already made shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this Scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for demands/ disputes pending under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure and clarification, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or dispute under serial number 1 to 5 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-269]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.452.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 21.-** In rule 21 of the Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing second proviso to sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"Provided further that for the assessments pertaining to any period upto 30.06.2017, the dealer may furnish the declaration forms or certificates upto 30.06.2021.";

(ii) the existing third proviso to sub-rule (1) shall be deleted; and

(iii) after the existing proviso to sub-rule (8), the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the dealer may submit such application pertaining to any period upto 30.06.2017 by 30.06.2021, directly to the assessing authority concerned and the assessing authority shall dispose such application in accordance with the provisions of this sub-rule, at his own level.".

3. **Amendment of rule 40.-** In rule 40 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "within thirty days from the day on which the gross amount of works contract(s) exceeds rupees ten lacs or upto 31.12.2020, whichever is later.", the expression "within thirty days from the day on which the gross amount of works contract(s) exceeds rupees ten lacs or upto 30.06.2021, whichever is later:" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the awarder is a Government Department, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government has a share capital, it is not mandatory for such awarder to obtain the Awarder Identification Certificate pertaining to any period upto 30.06.2017.";

(iii) in sub-rule (8A), for the existing expression "within thirty days of the end of the quarter or upto 31.12.2020, whichever is later.", the expression "within thirty days of the end of the quarter or upto 30.06.2021, whichever is later." shall be substituted;

(iv) in sub-rule (8B), for the existing expression "within three months from the close of relevant year or upto 31.12.2020, whichever is later.", the expression "within three months from the close of relevant year or upto 30.06.2021, whichever is later." shall be substituted;

(v) in sub-rule (11), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(vi) in sub-rule (11), so amended, the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided that where the awarder is a Government Department, or a corporation, company, public undertaking, cooperative society, local body, statutory body or autonomous body in which Government has a share capital and has not obtained Awarder Identification Certificate, he shall issue duly filled Form VAT-41 manually to the contractor and the contractor shall submit the same to the Assessing Authority concerned:

Provided further that where such awarder has already issued Form VAT-41 manually to the contractor and the contractor has submitted the same to the Assessing Authority concerned on or before 23rd February, 2021, in such cases, fresh Form VAT- 41 shall not be required to be submitted.".

4. Substitution of Form VAT-41.- The existing Form VAT-41 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Form VAT-41

[See rule 40(11)]

Certificate of Deduction at Source by Awarder

Form No.

Date of Issue:

	Name of Contractor	
	Registration No. (TIN), if any	
	Address	
	Name of the Awarder	
	Awarder Identification No., if any	
	Address	

	Amount paid to the contractor	
	Amount of TDS	

Details of Tax deducted at source by Awarder

S. No.	Work Order Number	Work Order Date	Nature of the contract	Gross value of the contract	Bill No. & Date	Amount of the Bill
1	2	3	4	5	6	7

EC No. of Contractor, if any	Amount deducted at source	Voucher No. and date of credit of payment to the contractor	Gross amount of challan & date on which tax deducted at source was deposited to account of the Commercial Taxes Department	Treasury Voucher Number for payments made through AG adjustment/ GRN/CIN
8	9	10	11	12

It is certified that the above details are complete, true and correct to best of my knowledge and nothing has been concealed.

Date:

Place:

Signature and seal of the person responsible
for deduction and deposit of the tax

Name of the Department/Office".

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-270]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.453.-In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule VI appended to the said Act, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule VI appended to the said Act, the existing serial number 7 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

7.	Petroleum Crude	5	

"

[No.F.12(29)FD/Tax/2021-271]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.454.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification numbers F.2(55)FD/Tax/2012-33 dated 12.07.2012, F.4(3)FD/Tax/2018-188 dated 12.02.2018, F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, F.2(37)FD/Tax/2010-125 dated 08.03.2011, F.4(4)FD/Tax/2020-126 dated 20.02.2020 and F.4(4)FD/Tax/2020-127 dated 20.02.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

Table

S.No.	Description of instrument	Stamp duty
1	**2**	**3**
1.	The lease deed of residential site allotted under the Indira Awaas Yojana and Mukhyamantri Gramin B.P.L. Awaas Yojana	Nil
2.	The lease deed or allotment order issued by the Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996	Rs. 100
3.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 of 1961)	Rs. 100
4.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Slum Development Policy-2012	Rs. 100
5.	The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana for,- (i) dwelling units for Economically Weaker Section	0.5% of consideration amount
	(ii) dwelling units for Low Income Group	1% of consideration amount
6.	The lease deed issued/executed under the Rajasthan Township Policy-2010,- (i) in case of first allotment of plot for residential, institutional, industrial, tourism unit, etc.	at the rate of conveyance on 4 times of the residential conversion charges.
	(ii) in case of first allotment of plot for commercial purpose	at the rate of conveyance on 8 times of the residential conversion charges.
7.	The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956	at the rate of conveyance on the amount of premium, development charges, conversion charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years.
8.	The lease deed (not covered under any category	at the rate of conveyance on the

	specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.	amount of premium and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years.
9.	Any lease deed covered by serial numbers 2 to 8, submitted for registration after revalidation.	120% of the stamp duty payable on the original lease deed.

Note:- 1. In case of lease deed/sale deed issued/executed under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or the Rajasthan Government Grants Act, 1961 or the Rajasthan Slum Development Policy-2012 or the Chief Minister's Jan Awas Yojna-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy 2010, the allottee shall prove to the satisfaction of the Registration Officer that the lease deed/sale deed has been issued/executed under such Act, Rules, Yojana or Policy, as the case may be.

2. This notification shall be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.4(2)FD/Tax/2021-272]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.455.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-53 dated 14.07.2014, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2	3

1.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed on the basis of allotment order in respect of land allotted or sold by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies before getting lease deed from the aforesaid authorities.	On the 1.5 times of the amount of original allotment instead of market value of the property subject to condition that the authority concerned mentioned in column 2 shall issue a certificate stating therein the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property and the leaseholder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.
2.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	(i) On 10% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed upto March 31, 1995; (ii) On 20% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 1995 to March 31, 2005; (iii) On 30% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2005 to March 31, 2010; (iv) On 35% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed between April 1, 2010 to July 14, 2014; (v) On 40% of the market value of the property on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be, where the document executed on or after July 15, 2014. Note: 1. While issuing lease deed, the Urban Local Body concerned shall issue a

		certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments; 2. The lease holder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer.

[No.F.4(2)FD/Tax/2021-273]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.456.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(11)FD/Tax/2013-116 dated 06.03.2013, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the gift deeds of immovable property, executed in favour of,-

(i) father, mother, son, brother, sister or husband shall be reduced and charged at the rate of 2.5 percent of the market value of the property;

(ii) daughter or daughter-in-law shall be reduced and charged at the rate of one percent of the market value of the property or rupees one lakh, whichever is less;

(iii) wife,-

(a) shall be exempted if such gift deeds are executed upto March 31, 2022;

(b) shall be reduced and charged at the rate of one percent of the market value of the property or rupees one lakh, whichever is less if such gift deeds are executed after March 31, 2022;

(iv) son's son, son's daughter, daughter's son or daughter's daughter shall be exempted; and

(v) a widow by,-

(a) her deceased husband's mother, father, brother or sister; or

(b) her own mother, father, brother, sister, son or daughter;

shall be exempted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-274]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O.457.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-269 dated 30.03.2016, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the release deed of ancestral property specified in clause (a) of Article 48 of the Schedule to the said Act, shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description	Rate of Stamp Duty
1.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced does not exceed rupees 10 lacs.	Five hundred rupees
2.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced exceeds rupees 10 lacs.	Five thousand rupees

This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-275]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.458.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-109 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice versa* shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent.

[No.4(2)FD/Tax/2021-276]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.459.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of four percent, if such conveyance deed is executed and presented for registration upto 30.06.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-277]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.460.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in partial modification of this department's notification number F.1(11)FD/Tax Div./97 dated 21.03.1998, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument specified in Article 50 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.1 percent subject to maximum of rupees twenty five lakh.

[No.4(2)FD/Tax/2021-278]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.461.-In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Insertion of new rule 29-B.- After the existing rule 29-A and before the existing rule 30 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the following new rule shall be inserted, namely:-

"**29-B. Discount and Remuneration on e-stamps certificate.-** (1) The Central Record Keeping Agency authorised by the State Government for the Computerisation of Stamp Duty Administration System in the State hereinafter referred to as the Agency shall be allowed to deduct an amount,-

(i) not exceeding 0.65 percent of the amount collected through sale of e-stamps as may be determined by the State Government, from time to time; and

(ii) equal to that allowed to stamp vendors under rule 29 and 29-A, in respect of e-stamps sold through Authorised Collection Centres.

(2) The Agency shall deduct the amount allowed under sub-rule (1) from the amount collected by it through sale of e-stamps and pay the amount allowed under clause (ii) of sub-rule (1) to the Authorised Collection Centers appointed by it in proportion to the amount collected by them through sale of e-stamps.

(3) The Agency shall produce to the Inspector General of Stamps a quarterly statement of the amount deducted and paid under sub-rule (2).".

[No.4(2)FD/Tax/2021-279]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.462.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government hereby determines the rates for assessment of market value of the following categories of land for whole of the State as under:-

1. Rates of land for industrial purposes

Rates of industrial land in RIICO industrial area or land converted for industrial purposes or agriculture land being used for industrial purposes shall be,-

(i) equal to the rates determined by RIICO in RIICO Industrial Area; and

(ii) equal to three times of the rates of agriculture land of that area in other cases but if such rates are more than the rates determined by RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

2. Rates of land for institutional, residential and commercial purposes in RIICO Industrial Area

Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall be,-

(i) equal to the rates of industrial land determined by RIICO in case of institutional land;

(ii) equal to two times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of residential land; and

(iii) equal to four times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of commercial land.

3. Rates of land for institutional purposes outside RIICO Industrial Area

Rates of land converted for institutional purposes or agriculture land is being used for institutional purposes shall be,-

(i) equal to 1.5 times of the rate of agriculture land of that area where land is purchased by cooperative societies/charitable institutions; and

(ii) equal to 2 times of the rate of agriculture land of that area in other cases.

Explanation: (i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by the District Level Committee, rates of institutional land shall be equal to the rates of residential land of that area.

(ii) Institution shall include educational institutions, training institutions, coaching institutions, hostels, hospitals, banks, financial institutions, insurance companies etc.

4. Rates of land for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes

Rates of land converted for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes or agriculture land is being used for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area but if such rates are more than the rates determined by the RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by the RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

5. Rates of land for agro-industrial purposes

Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land is being used for agro-industrial purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area.

6. Rates of land for mining purposes

(i) In case of agriculture land purchased for mining purposes or agriculture land in respect of which consent deed is executed between land owner and lessee for mining purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area and where the rates of agriculture land of that area are not determined, the rates of agriculture land of the adjoining area.

(ii) In case of new mining lease (whether granted through auction or otherwise), renewal of mining lease or transfer of mining lease shall be equal to four times of the rates of agriculture land of that area and where rates of agriculture land of that area are not determined, the rates of agriculture land of the adjoining area.

Explanation: The above rates shall also be applicable on the instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for

adjudication before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

7. Rates of land for Resort purposes

Rates of the land converted for resort purposes or agriculture land is being used for resort purposes shall be,-

(i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area, whichever is higher; and

(ii) equal to 2 times of the rates of agriculture land of that area for remaining part of the land.

8. Rates of land for hotel, motel, guest house and restaurant purposes

Rates of the land converted for hotel, motel, guest house and restaurant purposes or land is being used for the above purposes shall be equal to the rates of the commercial land of that area.

9. Rates of land for marriage garden purposes

Rates of the agriculture land is being used for marriage garden purposes or land converted for marriage garden purposes shall be,-

(i) equal to the rates of commercial land of that area for portion on which construction has been done or the maximum permissible constructed area, whichever is higher; and

(ii) equal to 1.5 times of the rates of residential land of that area for remaining part of land.

10. Rates of agriculture land purchased by companies, firms or institutions

Rates of the agriculture land purchased by companies, firms or institutions shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

11. Rates of land for farm house purposes

Rates of the agriculture land is being used for farm house purposes or land converted for farm house purposes shall be,-

(i) equal to rates of residential land of that area where the area of the land is upto 1000 sq. meter;

(ii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to two times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is more than 1000 sq. meter but less than 2500 sq. meter; and

(iii) equal to the rates of residential land of that area for 500 sq. meter or portion on which construction has been done, whichever is higher, and equal to 1.5 times the rates of agricultural land of that area for remaining portion, where the total area of the farm house is 2500 sq. meter or more.

12. Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter

Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter, shall be reduced by 5 percent of the existing rates for such categories of lands.

13. Rates of corner plots

Rates of corner plots, except plots of agriculture land having area more than 1000 sq. meter, shall be 10% more.

14. Rates of land for which mixed land use patta/lease deed has been issued

On sale or transfer of vacant land, for which patta/lease deed of mixed land use has been issued by Development Authorities or Urban Improvement Trusts or other Local Bodies, the rate of such land shall be equal to 50% of the rate of commercial land of that area.

15. Rates of land under different land use

Rates of land which is being used for the purpose other than its approved use shall be equal to the rates of the category of its actual use or its approved use, whichever is higher.

16. Rates of residential and commercial land of a particular area where rates of such land are not recommended by the District Level Committee

(i) Rates of residential land shall be three times of the rates of agriculture land of that area; and

(ii) Rates of commercial land shall be six times of the rates of agriculture land of that area.

17. Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated within the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

(ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the numbers of buyers are more than one and share of any buyer is 1000 square meter or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

18. Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), except where such land comprises in a single khasra or where such land is purchased by a khatedar of the adjoining agriculture land, shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

(ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the number of buyers are more than one and share of any buyer is 500 square meters or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

(iii) The above rates shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-280]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.463.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby orders that the existing rates of residential and commercial categories of land shall be re-determined and decreased by ten percent with effect from 24.02.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-281]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.464.-In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (1) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number

F.4(4)FD/Tax/2015-225 dated 09.03.2015, as amended from time to time, the State Government hereby specifies the criteria on the basis of which market value of the proportionate land under the multistoried building shall be assessed:-

S.No.	Description of unit	Method of valuation of the land
1.	On transfer of a unit on ground floor without the rights of roof	70% of the assessed market value of the land
2.	On transfer of a unit on first or second floor without the rights of roof	60% of the assessed market value of the land
3.	On transfer of a unit on basement without the rights of roof	50% of the assessed market value of the land
4.	On transfer of a unit on third or above floor without the rights of roof	40% of the assessed market value of the land
5.	On transfer of a unit with the rights of roof	100% of the assessed market value of the land

Explanation: (i) The rate of valuation of proportionate land shall be determined in accordance with the use of the unit specified in the approved layout plan or actual use of the unit, whichever is higher.

(ii) This notification shall also be applicable on instruments executed or instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.4(2)FD/Tax/2021-282]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.465.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010/part-225 dated 02.09.2020, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

A. in column number 4 and 5, against serial number 5, after the existing expression

"	(xvii) Kalyanpur	Sub Tehsil Kalyanpur ",

the expression

"	(xviii) Dhanau	Tehsil Dhanau "

shall be added;

B. in column number 5,-

(i) against serial number 8, for the existing expression "Sub Tehsil Bajju", the expression "Tehsil Bajju" shall be substituted; and

(ii) against serial number 12, for the existing expression "Sub Tehsil Mandawar", the expression "Tehsil Mandawar" shall be substituted;

C. the existing serial number 16 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	16	Jaipur	Revenue district Jaipur	(i) Jaipur	Tehsil Jaipur, Tehsil Amber, Tehsil Bassi, Tehsil Chaksu, Tehsil Chomu, Tehsil Dudu, Tehsil Jamwaramgarh, Tehsil Phagi, Tehsil Sanganer
				(ii) Viratnagar	Tehsil Viratnagar
				(iii) Govindgarh	Sub Tehsil Govindgarh
				(iv) Khejroli	Sub Tehsil Khejroli
				(v) Mojamabad	Tehsil Mojamabad
				(vi) Kishangarh Renwal	Tehsil Kishangarh Renwal
				(vii) Kotkhawada	Tehsil Kotkhawada
				(viii) Kotputli	Tehsil Kotputli
				(ix) Sambher	Tehsil Sambher
				(x) Shahpura	Tehsil Shahpura
				(xi) Madhorajpura	Sub Tehsil Madhorajpura
				(xii) Andhi	Sub Tehsil Andhi
				(xiii) Tunga	Sub Tehsil Tunga

			(xiv) Amarsar	Sub Tehsil Amarsar
			(xv) Manoharpur	Sub Tehsil Manoharpur
			(xvi) Pawta	Tehsil Pawta
			(xvii) Kalwar	Sub Tehsil Kalwar

"

D. in column number 5, against serial number 19,-

(a) for the existing expression "Sub Tehsil Sunail", the expression "Tehsil Sunail" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "Sub Tehsil Bakani", the expression "Tehsil Bakani" shall be substituted; and

E. in column number 5, against serial number 29, for the existing expression "Sub Tehsil Rawla", the expression "Tehsil Rawla" shall be substituted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-283]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.466.-In exercise of the powers conferred by section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(17)FD/Tax/2010/part-226 dated 02.09.2020, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

A. in column number 3 and 4, against serial number 5, after the existing expression

" (xvii) Naib Tehsildar, Kalyanpur	Kalyanpur ",

the expression

"	(xviii) Tehsildar, Dhanau	Dhanau "

shall be added;

B. in the column number 3,-

(i) against serial number 8, for the existing expression "(iv) Naib Tehsildar, Bajju", the expression "(iv) Tehsildar, Bajju" shall be substituted; and

(ii) against serial number 12, for the existing expression "(x) Naib Tehsildar, Mandawar", the expression "(x) Tehsildar, Mandawar" shall be substituted;

C. the existing serial number 16 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"	16	Jaipur	(i) Sub-Registrar, Jaipur-I	Jaipur
			(ii) Sub-Registrar, Jaipur-II	
			(iii) Sub-Registrar, Jaipur-III	
			(iv) Sub-Registrar, Jaipur-IV	
			(v) Sub-Registrar, Jaipur-V	
			(vi) Sub-Registrar, Jaipur-VI	
			(vii) Sub-Registrar, Jaipur-VII	
			(viii) Sub-Registrar, Jaipur-VIII	
			(ix) Sub-Registrar, Jaipur-IX	
			(x) Sub-Registrar, Jaipur-X	
			(xi) Sub-Registrar, Sanganer-I	
			(xii) Sub-Registrar, Sanganer-II	
			(xiii) Sub-Registrar, Amber	
			(xiv) Sub-Registrar, Bassi	Area of Tehsil Bassi of Sub District Jaipur
			(xv) Sub-Registrar, Chaksu	Area of Tehsil Chaksu of Sub District Jaipur
			(xvi) Sub-Registrar, Chomu	Area of Tehsil Chomu of Sub District Jaipur
			(xvii) Sub-Registrar, Dudu	Area of Tehsil Dudu of Sub District Jaipur

		(xviii) Sub-Registrar, Jamwaramgarh	Area of Tehsil Jamwaramgarh of Sub District Jaipur
		(xix) Sub-Registrar, Phagi	Area of Tehsil Phagi of Sub District Jaipur
		(xx) Naib Tehsildar, Bagru	Area of Sub Tehsil Bagru of Sub District Jaipur
		(xxi) Naib Tehsildar, Mundota	Area of Sub Tehsil Mundota of Sub District Jaipur
		(xxii) Naib Tehsildar, Jalsu	Area of Sub Tehsil Jalsu of Sub District Jaipur
		(xxiii) Naib Tehsildar, Rampura Dabri	Area of Sub Tehsil Rampura Dabri of Sub District Jaipur
		(xxiv) Naib Tehsildar, Govindgarh	Area of Sub Tehsil Govindgarh of Sub District Jaipur
		(xxv) Naib Tehsildar, Khejroli	Area of Sub Tehsil Khejroli of Sub District Jaipur
		(xxvi) Tehsildar, Viratnagar	Viratnagar
		(xxvii) Tehsildar, Mojamabad	Mojamabad
		(xxviii) Tehsildar, Kishangarh Renwal	Kishangarh Renwal
		(xxix) Tehsildar, Kotkhawada	Kotkhawada
		(xxx) Sub-Registrar, Kotputli	Kotputli
		(xxxi) Sub-Registrar, Sambhar	Sambhar
		(xxxii) Sub-Registrar, Shahpura	Shahpura
		(xxxiii) Sub-Registrar, Madhorajpura	Madhorajpura
		(xxxiv) Naib Tehsildar, Andhi	Andhi
		(xxxv) Naib Tehsildar, Tunga	Tunga
		(xxxvi) Naib Tehsildar, Amarsar	Amarsar

		(xxxvii) Naib Tehsildar, Manoharpura	Manoharpura
		(xxxviii) Tehsildar, Pawta	Pawta
		(xxxix) Naib Tehsildar, Kalwar	Kalwar

"

D. in column number 3, against serial number 19,-

(a) for the existing expression "(vii) Naib Tehsildar, Sunail", the expression "(vii) Tehsildar, Sunail" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "(x) Naib Tehsildar, Bakani", the expression "(x) Tehsildar, Bakani" shall be substituted; and

E. in column number 3, against serial number 29, for the existing expression "(xix) Naib Tehsildar, Rawla", the expression "(xix) Tehsildar, Rawla" shall be substituted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-284]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.467.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955, made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 79.- The existing rule 79 of the volume-I of the Rajasthan Registration Rules, 1955 shall be substituted by the following, namely:-

"**79. Refund of fees**.- (1) In the event of registration being refused, or not taking place for other reasons, any fees which may have been levied will be refunded except fees for commissions, summons, attendances, and travelling allowances, where such fees have been earned.

(2) Inspection or search fees may be refunded in cases where no inspection or search is made, but shall not be refunded where a partial inspection or search has been made.

(3) Any registration fees charged by a registering officer in excess of what is actually chargeable under the rule may be refunded at the discretion of the Collector (Stamps) provided that the refund is claimed within six months and the Collector (Stamps) is satisfied that there has been a clear over-charge.

(4) Application for refund of fees will be in writing to the Collector (Stamps) who will pass orders thereon. The Collector (Stamps) will be responsible for seeing that receipts are obtained and recorded for the full amount of fees to be refunded.".

[No.4(2)FD/Tax/2021-285]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.468.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-123 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees ten thousand on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice versa* shall be remitted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-286]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.469.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Chapter IV of the Rajasthan Finance Act, 2020 (Act No. 9 of 2020), the State Government considers it

expedient in the public interest so to do, hereby orders that interest and penalty payable on land tax shall be remitted where arrears of land tax is deposited upto 30.06.2021.

[No.4(2)FD/Tax/2021-287]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.470.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government, being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts the new stage carriage passenger vehicles, purchased on or after 01.04.2021 and registered upto 31.03.2022 and plying exclusively on rural routes and other routes (as classified under the provisions of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990) from the payment of motor vehicle tax payable under section 4 of the said Act for a period of three years from the date of their registration.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/1]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.471.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax

and Surcharge payable upto the date on which vehicle was destroyed is deposited on or before 31.03.2021;

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.01.2021 on vehicle other than the destroyed vehicles, if,-

(a) penalty and interest, if any, due after 31.01.2021 on Motor Vehicle Tax, One Time Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2021; and

(b) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 31.03.2021; and

(iii) exempts from payment of penalty and interest payable on One Time Tax and Surcharge upto 31.01.2021 on non-transport vehicles registered outside the State and brought into the State for use exceeding thirty days, if One Time Tax and Surcharge due upto 31.01.2021 is deposited on or before 31.03.2021.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner may apply before the Taxation Officer for the exemption.

(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.

(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by the Registering Authority.

(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.

(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/2]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O.472.-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 dated 10.07.2019, as amended from time to time, with effect from 01.04.2021, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) against serial number 2 of the table, the existing item (b) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(b) Other routes	
	(i) plying upto 100 km. per day	Rs. 230/- per seat per month
	(ii) plying above 100 km. and upto 150 km. per day	Rs. 250/- per seat per month
	(iii) plying above 150 km. and upto 200 km. per day	Rs. 280/- per seat per month
	(iv) plying above 200 km. and upto 250 km. per day	Rs. 300/- per seat per month
	(v) plying above 250 km. and upto 300 km. per day	Rs. 320/- per seat per month
	(vi) plying above 300 km. and upto 350 km. per day	Rs. 520/- per seat per month
	(vii) plying above 350 km. and upto 400 km. per day	Rs. 540/- per seat per month
	(viii) plying above 400 km. per day	Rs. 560/- per seat per month

"

(ii) against serial number 7 of the table, the existing item (a) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(a) More than three wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits	
	(i) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 700/- per seat per month
	(ii) with seating capacity more than 32	Rs. 700/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month
	(iii) sleeper bus	Rs. 510/- per seat per month subject to a maximum of Rs. 40,000/- per month

"

(iii) in proviso,-

(a) after the existing clause (iii) and before the existing clause (iv), the following new clause (iii-a) shall be inserted, namely :-

"(iii-a) in case of the motor vehicle falling under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) in column 2 against serial number 7 and plying exclusively within the revenue divisional limits, the tax shall be 50% of the tax payable on such motor vehicle;"; and

(b) after the existing clause (viii) and before the existing note, the following new clause (ix) shall be inserted, namely :-

"(ix) passenger vehicles registered for the first time on or after 01.03.2021 shall be exempted from tax payable as specified in column 3 against serial number 13, if the vehicle is covered by a non-temporary permit within 15 days from the date of registration.".

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/3D]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.473.-In exercise of the powers conferred by clause (a), clause (c) and clause (cc) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of

1951), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/4 dated 10.07.2019, with effect from 01.04.2021, namely :-

Amendment

In table of the said notification, against serial number 1, the existing item (b) of column 2 and entries relating thereto of column 2 and 3 shall be substituted by the following, namely :-

"

	(b) any other transport vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper Vans, Trailers, Tipper, Cash Van, Mobile Canteen, Haul Pack Dumper, Mobile Work Shops, Ambulance, Animal Ambulance, Fire Tenders, Snorked Ladders, Auxiliary Trailers and Fire Fighting Vehicles, Hearses, Mail Carrier, Mobile Clinic, X-Ray Vans, Library Vans etc. having G.V.W. more than 16500 Kg.	Rs. 1800 per 1000 Kg. of G.V.W. or part thereof per year subject to a maximum of Rs. 35000/-.

"

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/4A]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.474.-In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendments) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 25.- The existing sub-rule (2) of rule 25 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The period of surrender or non-use shall not be less than seven days for stage carriages and less than thirty days for other than stage carriages. The period of such surrender shall not be more than ninety days for all categories of vehicles except in case of theft of the vehicle.".

3. Amendment of rule 41.- In rule 41 of the said rules, for the existing expression "the driver shall be excluded", the expression "the driver and conductor shall be excluded" shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/5]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 24, 2021

S.O.475.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, exempts from payment of fifty percent of the additional One Time Tax payable at the time of transfer of ownership of two wheeled non-transport vehicles and four wheeled non-transport vehicles having seating capacity upto ten.

This notification shall remain in force upto 31.03.2022.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2021-22/6]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O.476.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), and in supersession of this department's notification number F.7(47)Pari/Rules/H.Q./87/part/12409 dated 08.07.2020, the State Government hereby authorises following officers to compound the offences committed and punishable under sections of the said Act, mentioned in column number 2 and 3 of the Schedule given below, for the amount specified in column number 4 against each of them of the said Schedule:-

(1) Officers of the Transport Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector, for whole of the State;

(2) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Head Constable, for Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas;

(3) Officers of Traffic Police and Police not below the rank of Assistant Sub-Inspector, for remaining part of state in their respective areas except Jaipur and Jodhpur Commissionerate areas; and

(4) Officers attached with Mobile Traffic units not below the rank of Head Constable, for whole of the State:

Provided that the officers of the Police and Traffic Police are not authorised to compound the offences committed and punishable under sub-section (1) of sections 182A, sub-section (3) of section 182A, sub-section (4) of section 182A, section 182B, section 192A, sub-section (1) of section 194 (read with sections 113, 114), sub-section (1A) of section 194 and sub-section (2) of section 194.

SCHEDULE

S. No.	**Sections under which the offence committed is to be compounded**	**Offences**	**Amount for which the offence is to be compounded (in Rupees)**
1	2	3	4
1.	177	General provisions for punishment of offences	For first offence- (i) 100/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler (ii) 200/- for other than above

			For subsequent offence- (i) 200/- for Two Wheeler/ e-Rickshaw/ Three Wheeler (ii) 400/- for other than above
2.	178(1)	Travelling without pass or ticket in a stage carriage	100/-
3.	178(2)	Dereliction of duty on the part of Conductor of a stage carriage	500/-
4.	178(3)(a)	Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a two-wheeled or three-wheeled contract carriage	50/-
5.	178(3)(b)	Refusal to ply or carry the passengers by the driver of a contract- carriage other than two-wheeled or three-wheeled contract carriage	200/-
6.	179(1)	Disobedience of any direction or obstructs any function by a Driver	500/-
7.	179(2)	Refusal to give information or gives false information	1000/-
8.	180	Allowing Unauthorised person to drive vehicle	5000/-
9.	181	Driving without having a valid license	5000/-
10.	182(1)	Driving a motor vehicle in a public place after disqualification under the Act or applies for or obtains a license without disclosing the endorsement made on a driving license which is previously held	10000/-
11.	182(2)	Act as a Conductor of a stage carriage in a public place after disqualification or applies for or obtains a conductor license without	1000/-

		disclosing the endorsement made on a Conductor's license which is previously held	
12.	182A(1)	Offences relating to sale or delivery or alteration of motor vehicles by dealer, Manufacturer or importer violating chapter VII or rules and regulations made thereunder	1,00,000/- per such vehicle
13.	182A(3)	Offences relating to sale of critical safety component which does not comply with chapter VII or rules and regulations made thereunder	1,00,000/- per such component
14.	182A(4)	Alteration of motor vehicle by owner not permitted under the Act or the Rules and regulations made thereunder	5000/- per such alteration
15.	182 B	Punishment for contravention of section 62 A (Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to over sized vehicle)	5000/-
16.	183(1)(i)	Drives or causes any person to drive LMV with excess speed	For first offence-1000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)
17.	183 (1)(ii)	Drives or causes any person to drive a Medium or Heavy Goods or Passenger vehicle with excess speed	For first offence- 2000/- For the second or any subsequent offence under this sub-section the driving license of such driver shall be impounded as per the provisions of section 206(4)
18.	184 (c)	Driving Dangerously (only to the extent to the use of Handheld	For first offence-1000/-

		communication device)	For subsequent offence-10000/-
19.	186	Driving when mentally or physically unfit to drive	For first offence-500/- For subsequent offence-1000/-
20.	189	Racing and trials of speed without the written consent of state government	For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/-
21.	190(2)	Drives or causes or allows to be driven, in any public place a motor vehicle, which violates the standards prescribed in relation to road safety, control of noise and air pollution	For first offence- (i) 500/- for Two Wheeled/e-rickshaw/Three Wheeled Motor Vehicles (ii) 1000/- for Non-transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non- transport vehicle (iii) 1500/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle) (iv) 2000/- for Medium/Heavy Transport vehicles
			For Subsequent offence- (i) 1000/- for Two Wheeled/ e-rickshaw /Three Wheeled Motor Vehicles (ii) 2000/- for Non -transport vehicle other than two wheeled and three wheeled Non-transport vehicle (iii) 3000/- for LMV Transport (other than two wheeled/e-rickshaw/three wheeled transport vehicle) (iv) 4000/- for Medium/Heavy

			Transport vehicles
22.	192	Using vehicle without registration or fitness:- (i) Two wheeled or three wheeled motor vehicle (ii) Passenger vehicles other than Two wheeled or three wheeled motor vehicle (iii) Agriculture Tractor/ trailer (iv) Goods vehicle	For first offence-2000/- For subsequent offence-5000/- For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/- For first offence-2000/- For subsequent offence-5000/- For first offence-5000/- For subsequent offence-10000/-
23.	192 A	Using vehicle without permit or violation of permit conditions	10000/- for HMV 5000/- for LMV/MMV 2000/- for Two Wheeler/Three Wheeler & Stage Carriage Bus plying exclusively on urban routes
24.	194(1)	Driving Vehicle,- (i) exceeding permissible weight in contravention of section 113, 114	5000/- and additional 1000/- per ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of excess load
		(ii) in contravention of section 115 (driving in prohibited/ restricted area)	5000/-
25.	194(1A)	Driving a motor vehicle carrying over dimension projections	5000/- together with the liability to pay charges for off-loading of such load
26.	194(2)	Refuses to stop and submit his vehicle to weighing after being directed by authority	10000/-
27.	194 A	Carrying excess passenger in	200/- per excess passenger

		transport vehicle	
28.	194 B(1)	Driver or passenger without seat belt	1000/-
29.	194 B(2)	Carrying children below 14 years without safety belt/child restraint system	500/-
30.	194 C	Riding more than two persons on two wheeler	100/-
31.	194 D	Riding without helmets by driver & rider	1000/-
32.	194 E	Not providing way for emergency vehicles (Fire Service or Ambulance)	1000/-
33.	194F(a)	1. Using horn needlessly or continuously 2. Using horn in prohibited area	500/- for Two/Three Wheeler 1000/- for other than above
34.	194F(b)	Release of exhaust gas other than silencer	500/- for Two/Three Wheeler 1000/- for other than above
35.	196	Driving Uninsured vehicle	1000/- for Two/Three Wheeler 2000/- for other than above
36.	198	Unauthorized interference with vehicle	1000/-

[No.F.7(47)/Pari/Rules/H.Q./87/part/1/1]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

S.O.477.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby authorises the District Transport Officer to compound the offences found committed on or before 31.01.2021 under clause (b) of sub-section (3) of section 113 of the said Act, on the basis of information received through e-ravanna of Mines Department, for the compounding amount as specified in column 3 of the table given below, subject to the amount specified in column 4 of the said table.

Table

S. No.	**Total compounding amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/ 12409 dated 08.07.2020 (in Rs.)**	**Compounding amount (percentage of amount payable for a vehicle upto 31.01.2021 on the basis of this department's notification No.F.7(47)pari/rules/HQ/Part/ 12409 dated 08.07.2020)**	**Minimum payable Compounding amount (in Rs.)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Upto 1 lakh	25%	5500/-
2.	Above 1 lakh and upto 10 lakh	10%	25000/-
3.	Over 10 lakh and upto 25 lakh	8%	115000/-
4.	Above 25 lakh and upto 50 lakh	6%	235000/-
5.	Above 50 lakh and upto 75 lakh	4%	385000/-
6.	Over 75 lakh and upto 1 crore	2%	485000/-
7.	More than 1 crore	1%	535000/-

This notification shall remain effective upto 31.03.2021.

[No.F.7(47)/pari/rules/Hqrs/87/part-1/2]

By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)

Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur